कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा–2015 में सुमन मीणा रोल नम्बर 706565 चयन वर्ग ST,WE,DV मेरिट नम्बर 2210 पर चयनोपरांत नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि RPSC 2015/रिशफल नियुक्ति/2018 दिनांक 27.10.2018 द्वारा अभ्यर्थी को राउमावि मनोहरपुरा बस्सी, जयपुर में पदस्थापित किया गया था, जिसकी पालना में अभ्यर्थिया सुमन मीणा द्वारा दिनांक 31.10.2018 को उक्त विद्यालय में कार्यग्रहण कर लिया गया था।

सुमन मीणा का चयन प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा–2015 विषय राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत ST वर्ग परित्यक्ता कोटे में किया गया एंव इसी अनुरूप इनका पदस्थापन आदेश विभाग द्वारा जारी किया गया था। इनके संबंध में विभाग को शिकायत प्राप्त हुई कि सुमन मीणा द्वारा द्वितीय शादी दिनांक 24.02.2014 को कर ली गई है एवं आर्य समाज संस्था, नला बाजार अजमेर द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक 97 दिनांक 24.02.2014 को शादी किये जाने का विवाह–प्रमाण पत्र जारी किया गया है। सुमन मीणा दिनांक 24.02.2014 को हुई शादी के तथ्यों को छुपाते हुए प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) विषय राजनीति विज्ञान में चयनित हुई है।

इस संबंध में विभाग द्वारा जांच कार्यवाही करवाई गई। जांच प्रतिवेदन एवं प्राप्त दस्तावेज अनुसार इनकी शादी 24.02.2014 को हरिनारायण मीणा के साथ हुई। एवं इस संबंध में आर्य समाज संस्था, नला बाजार अजमेर के मंत्री द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक 97 दिनांक 24.02.2014 को शादी किये जाने का जारी विवाह–प्रमाण पत्र, सुमन मीणा द्वारा संस्था को प्रस्तुत शपथ पत्र एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में दायर याचिका संख्या 197/2019 में पारित आदेश दिनांक 01.04.2019 के क्रम में पुलिस कमिश्नर महानगर, जयपुर को सुमन मीणा द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 04.04.2019 के आधार पर दिनांक 24.02.2014 को श्रीमती सुमन मीणा द्वारा हरिनारायण मीणा के साथ आर्य समाज संस्था में पुनर्विवाह होना पाया गया।

प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) विषय राजनीति विज्ञान के पद पर नियुक्ति के संबंध में सुमन मीणा द्वारा अवगत कराया गया कि अभ्यर्थिया द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) भर्ती परीक्षा 2015 हेतु जारी विज्ञप्ति के अनुरूप ही नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया गया था एवम् आवेदन में कोई गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया ओर न ही किसी तथ्य को छुपाया गया था। किन्तु विभाग द्वारा समस्त तथ्यों की जांच के उपरान्त श्रीमती सुमन मीणा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) विषय राजनीति विज्ञान द्वारा परित्यक्ता कोटे से चयनित होने के पश्चात् नियुक्ति से पूर्व पुनर्विवाह करने तथा उसकी सूचना विभाग तथा लोक सेवा आयोग अजमेर को नहीं देकर गलत तथ्यों को छुपाकर राजकीय परिलाभ प्राप्त करने का दोषी पाया गया।

इस कार्यालय के पत्रांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/सुमन मीणा/RPSC 15/2020/65 दिनांक 12.03.2020 द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्यों सहित सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सुमन मीणा के प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) भर्ती परीक्षा 2015 में परित्यक्ता कोटे से चयन की पात्रता का नियमानुसार परीक्षण करते हुए चयन के संबंध निर्णय चाहा गया। इस संबंध में सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ने पत्रांक एफ. 6(09) परीक्षा "क"/प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)/राज.विज्ञान(छात्र)/2015–16/पार्ट–1/7 दिनांक 27.05.2020 द्वारा अवगत कराया है कि प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी भर्ती परीक्षा 2015 विषय राजनीति विज्ञान में अभ्यर्थिया सुमन मीणा रोल. न. 706565 चयन वर्ग ST,WE,DV मेरिट नम्बर 2210 प्रकरण के परीक्षणोपरांत पाया गया कि प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) भर्ती परीक्षा 2015 विषय राजनीति विज्ञान के पद हेतु ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व पुनर्विवाहित महिला को विधवा/विवाह विच्छिन (WD/DV) वर्ग का लाभ उक्त भर्ती में देय नहीं है। अभ्यर्थिया श्रीमती सुमन मीणा ने उक्त परीक्षा में ST,WE,DV वर्ग के अन्तर्गत् आवेदन किया था जबकि अभ्यर्थिया आवेदन की अंतिम दिनांक 20.12.2015 से पूर्व ही दिनांक 24.02.2014 से पुनर्विवाहित थी, परन्तु अभ्यर्थिया ने आयोग द्वारा ऑनलाईन आवेदन से लेकर चयनोपरांत पात्रता जांच हेतु प्रस्तुत विस्तृत आवेदन पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करने, विभाग को नियुक्ति हेतु अनुशंषा भिजवाने तथा विभाग द्वारा नियुक्ति उपरांत पदस्थापन होने तक उक्त तथ्यों को छुपाया साथ ही पुनर्विवाह संबंधी तथ्य को छुपाते हुए अनुचित तरीके से नियुक्ति प्राप्त की है।

इस प्रकार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपने पत्र दिनांक 27.05.2020 द्वारा अभ्यर्थिया सुमन मीणा रोल नम्बर 706565 चयन वर्ग ST,WE,DV मेरिट नम्बर 2210 का आयोग द्वारा चयन निरस्त किया गया है। अतः उक्त चयन निरस्त के आधार पर एतद् द्वारा सुमन मीणा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) विषय राजनीति विज्ञान वर्तमान निलम्बन मुख्यालय कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के संबंध में तत्समय प्राध्यापक विषय राजनीति विज्ञान के पद हेतु जारी नियुक्ति आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि RPSC 2015/रिशफल नियुक्ति/2018 दिनांक 27.10.2018 तत्काल प्रभाव से निरस्त कर श्रीमती सुमन मीणा की नियुक्ति को प्रारंभ से ही शून्य **(VOID AB INTIO)** घोषित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
निदेशक
आई.ए.एस.
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/सुमन मीणा/RPSC 15/2020/99 दिनांक:– 04/06/2020
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः–

1 विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
2 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को पत्रांक दिनांक 27.05.2020 के क्रम में।
3 शासन संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4 संयुक्त निदेशक–स्कूल शिक्षा ....।
5 जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक,....................को पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जयपुर पश्चिम जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
7 प्रधानाचार्य, वर्तमान मोहनपुरा बस्सी, जयपुर।
8 सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कार्यालय हाजा।
9 स्टॉफ ऑफिसर निजी अनुभाग मा.शि. को सूचनार्थ।
10 अनुभाग अधिकारी गोपनीय प्रतिवेदन/वरिष्ठता/विभागीय जांच/शाला दर्पण प्रभाग को आगामी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11 निजी एवं रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर